



रेलवे सुरक्षा बल का इतिहास

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) भारतीय संघ का एक सशस्त्र बल है जिसे रेल यात्री, यात्री क्षेत्र और भारतीय रेल की संपत्ति की सुरक्षा सौंपी गई है। यह एकमात्र संघ का सशस्त्र बल है जिसे गिरफ्तारी, जांच व अपराधियों पर मुकदमा चलाने का प्राधिकार है। यह बल आम तौर पर आरपीएफ के रूप में जाना जाता है और यह रेल मंत्रालय के अधीन आता है। श्री मनोज यादव जो हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 01 अगस्त 2023 से महानिदेशक नियुक्त हैं।

उद्देश्य

- रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर तथा यात्रियों की सुरक्षा में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना।
- यात्री क्षेत्र, रेल परिसर तथा रेल गाड़ियों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कर यात्री सुरक्षा उपलब्ध करवाना।
- महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने तथा रेलवे परिसर में मिले निराश्रित बच्चों के पुनर्वास हेतु उचित कार्यवाही करने में सजग रहना।
- भारतीय रेल की छवि सुधारने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।
- राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस तथा रेल प्रशासन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समस्त आधुनिक तकनीकी का उपयोग, सर्वोत्तम मानवाधिकार का पालन, प्रबंधकीय तकनीकी तथा महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष उपाय करना।

इस बल की उत्पत्ति वॉच एंड वार्ड के रूप में हुई थी जो रेल प्रशासन के अंतर्गत कार्य करता था। बाद में इस बल को 'रेलवे सुरक्षा बल' नाम दिया गया था और बल सदस्यों को रेलवे संपत्ति के अवैध कब्जे के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की गई। रेलवे संपत्ति में केवल रेलवे प्रशासन द्वारा स्वामित्व वाली संपत्तियाँ शामिल थी। समय के साथ रेल संपत्ति की परिभाषा बदली गई और रेल संपत्ति, रेलवे के अधिकार में तथा रेल को सौंपी गई संपत्ति को शामिल किया गया। रेलवे संपत्ति के अपराध में अपराधियों पर रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत मामला दर्ज किया जाने लगा। अब रेलवे सुरक्षा बल की एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था है जो रेल प्रशासन के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करती है।

आरपीएफ का विकास

1855 - 1861

जब रेलवे ने 1854 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया तब से रखरखाव और रेलवे की सुरक्षा, भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। चूंकि रेलवे की लाइनें कई राज्यों से गुजरती थीं ऐसे में रेलवे में एक पुख्ता सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना मुश्किल हो गया। फिर भी इस तरह का एक प्रयास 1854 में किया गया जब पूर्व भारतीय रेलवे से कुछ स्टाफ को पुलिस के तौर पर तैनात किया जो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य कर रही थी और एक टुकड़ी को रेल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई।

1861 -1956

रेलवे पुलिस समिति, 1872 की सिफारिश पर रेलवे पुलिस को राजकीय पुलिस (जीआरपी के अग्रदूत) ' वॉच एंड वार्ड ' को रेलवे की इयूटी के लिए स्थापित किया गया। कर्तव्यों का वास्तविक विभाजन 1881 में प्रभाव में आया। 1882 तक, रेलवे में तैनात पुलिस बल का "सरकारी पुलिस" और "निजी (कंपनियों) पुलिस" में औपचारिक विभाजन के फलस्वरूप रेलवे की खुद की संपत्ति तथा जनता द्वारा वहन के लिए सौंपी गई संपत्ति की जिम्मेदारी रेलवे कंपनियों पर सीधे तौर पर आई। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विभागों के लिए "चौकीदारों" को नियुक्त किया और उन्हें अपने स्थानीय विभागीय प्रमुखों के नियंत्रण में रखा। वाणिज्यिक यातायात गाड़ियों में वहन के लिए रेल को सौंपे गए माल की चोरी की घटनाओं के परिणाम स्वरूप चौकीदार प्रणाली को पहले विश्वयुद्ध के बाद 1954 तक एक वरिष्ठ अधिकारी जिसे अधीक्षक के तौर पर नामांकित किया गया के अधीन 'वॉच एंड वार्ड ' के रूप में पुनर्गठित किया गया इस प्रकार रेलवे पुलिस प्रशासन ने तीन अलग-अलग सिस्टम के तहत कार्य करना शुरू किया, जैसे जिला प्रणाली जिला पुलिस के एक भाग एक रूप में, प्रांतीय प्रणाली प्रत्येक प्रांत और रेल प्रशासन प्रणाली के लिए, स्पेशल रेलवे पुलिस, कंपनी पुलिस का 1957 में वर्तमान के तौर पर विकास हुआ जब वॉच एंड वार्ड के 1872-1954 के चरण को रेलवे सुरक्षा बल 1954-1956 के रूप में पारित किया गया। आरपीएफ को रेलवे स्टोर (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत सीमित अधिकार दिया गया था।

1957-1985

इस तरह, पूरे 100 साल तक इस बल का उपयोग राष्ट्रीय संचार और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण धमनी को सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद इस बल का कोई वैधानिक दर्जा नहीं था। इसलिए, भारत सरकार ने निदेशक, खुफिया ब्यूरो (गृह मंत्रालय) के द्वारा एक विशेष जांच की जिसमें उन्होंने 1954 में सवैधानिक आधार पर 'वॉच एंड वार्ड' की जरूरत होने की सिफारिश की। रेलवे बोर्ड द्वारा जुलाई 1953 में वॉच एंड वार्ड विभाग के पुनर्गठन बनाने के लिए एक सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई। गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि, एक ऐसा बल चाहिए जो अच्छी तरह से एकीकृत संगठित बल हो जो पुलिस के मॉडल पर पर्याप्त पर्यवेक्षी कर्मचारियों के साथ हो जो रेलवे संपत्ति के अपराध के विशेष पहलुओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हो और जो रेल में राज्य पुलिस से निकट सहयोग के साथ द्वितीय विकल्प के रूप में कार्य करे। यही बात बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए आरपीएफ विधेयक बनाने में सहायक हुई। 29 अगस्त 1957 को एक रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित

किया गया और रेलवे सिव्युरिटी फाॅर्स का नाम बदल कर रेलवे प्रोटेक्शन फाॅर्स रखा गया | आरपीएफ नियम 10 सितम्बर 1959 को बनाये गए और आरपीएफ विनियम 1966 में तैयार किये गए | इसी बीच 1962 में चीनी आक्रमण के समय आरपीएफ की मौजूदा बल संख्या से एक "विशेष आपात सेना" बनाई गई जिसे विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में ट्रेनों की रक्षा का काम सौंपा गया | 1965 को इस विशेष आपात सेना को रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) नाम दिया गया | 1966 में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम बनाकर आरपीएफ को रेलवे सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए कानूनी अधिकार दिया गया है | वर्ष 2012 में रेल सम्पत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 1966 को और सशक्त बनाने के लिए धारा 03, 04 एवं 08 में बदलाव किए गए और उसे सशक्त किया गया | लेकिन जब एक प्रभावी और अनुशासित सेना के रखरखाव के लिए आरपीएफ अधिनियम के प्रावधान की जरूरत थी तब आरपीएफ नियम और विनियम भी न्यायिक तौर पर निर्बल पाए गए | आरपीएफ अधिनियम, 1957 को संसद द्वारा आरपीएफ अधिनियम 60, 1985 को 20 सितम्बर 1985 को उसी हिसाब से संशोधित कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल के रूप का दर्जा दिया गया | अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए, आरपीएफ नियम 1987 बनाया गया |

